# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
|---|

रामजीलाल बनाम जगदीश

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/119/2024

08.05.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा असल अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी को रहन बय आदि द्वारा मुन्तिकल न करे। न सब रजिस्टार साहब राजगढ के कार्यालय में किसी भी प्रकार का मुनिकल दस्तावेज प्रस्तुत करके पंजीबद्व कराए। न आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करें। और न प्रार्थी के साथ उपयोग उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें। अंत में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत असल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि विवादित आराजी उभयपक्षकारान की रिकार्डेड खातेदारी आराजी है। जिस भूमि पर उभय पक्षकारान काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेश तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि खसरा नम्बर 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर की उभय पक्षकारान मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विक्रय व रहन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 06.06.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

| तारीख हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | 06/06/24 पत्रावली पेश। वकील अपी. उप.। प्रति. 1 के मृतक जगदीश के वारीस 1/1 लगा. 1/4 बाद सूचना तामील उप. नहीं उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई वास्ते जवाब सरकार दि. 20/6/24 को पेश हो। [signature] SDO |
| | 20/6/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 8/7/24 को पेश हो। [signature] रीडर |
| | 08/7/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 09/09/24 को पेश हो। [signature] रीडर |
| | 9/9/24 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 23/9/24 को पेश हो [signature] S.D.O. |
| | 23/9/24 पत्रावली पेश। मूलवाद के साथ वास्ते जवाब सरकार दि. 14/10/24 को पेश हो। [signature] SDO |
| | 14/10/24 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 21/10/24 को पेश हो [signature] S.D.O. |
| | 21/10/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त ... 07/11/24 को पेश ... [signature] रीडर |

| तारीख हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
|---|---|---|
| | 7/11/24 पत्रावली पेश। मूलवाद के साथ जवाब सरकार हेतु Join 14/11/24 को पेश हो। SDO<br><br>14/11/24 ...... पत्रावली पेश। पेशी पर पेश ...... अभिभाषक मण्डल से कार्य स्थगित किया है। दिनांक 19/12/24 (19/12/24) को पेश हो S.D.O.<br><br>19/12/24 पत्रावली पेश। मूलवाद के साथ जवाब सरकार दिनांक 26/12/24 को पेश हो। SDO<br><br>26/12/24 ...... अभिभाषक मण्डल से कार्य स्थगित किया है। दिनांक 2/1/25 ...... को पेश हो S.D.O.<br><br>02/01/25 पत्रावली पेश। मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण प्रचलित धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ जमा हो। SDO | |